कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	46572.72	10.78	46583.50	130450.51	34.70	130485.21	101870.15	33.85	101904.00	134349.45	50.32	134399.77
वसूलियां	-507.31	...	-507.31	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	46065.41	10.78	46076.19	130450.51	34.70	130485.21	101870.15	33.85	101904.00	134349.45	50.32	134399.77
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	131.29	...	131.29	150.41	...	150.41	132.92	...	132.92	147.12	...	147.12
1.02 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	36.61	...	36.61	32.56	...	32.56	32.56	...	32.56	32.56	...	32.56
1.03 अन्य संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	341.24	0.90	342.14	369.37	...	369.37	341.03	...	341.03	376.39	...	376.39
जोड़- सचिवालय	*509.14*	*0.90*	*510.04*	*552.34*	...	*552.34*	*506.51*	...	*506.51*	*556.07*	...	*556.07*
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. फसल बीमा योजना												
2.01 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	11937.02	...	11937.02	14000.00	...	14000.00	13640.85	...	13640.85	15695.00	...	15695.00
3. किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी												
3.01 किसानों को अल्पाधिक ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी	11495.66	...	11495.66	18000.00	...	18000.00	17863.43	...	17863.43	21175.00	...	21175.00
4. बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस)	1400.00	...	1400.00	3000.00	...	3000.00	2010.20	...	2010.20	2000.00	...	2000.00
5. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-एएएसएचए)	4721.12	...	4721.12	1500.00	...	1500.00	321.00	...	321.00	500.00	...	500.00
6. कल्याण योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दाल का वितरण	...	...	...	800.00	...	800.00	370.00	...	370.00	800.00	...	800.00
7. फ़सल अवशेष के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यांत्रिकीकरण का संवर्धन	584.33	...	584.33	600.00	...	600.00	594.29	...	594.29	600.00	...	600.00
8. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम - किसान)	1241.13	...	1241.13	75000.00	...	75000.00	54370.15	...	54370.15	75000.00	...	75000.00
9. प्रधानमंत्री किसान मान - धन योजना	...	...	...	900.00	...	900.00	200.00	...	200.00	220.00	...	220.00
10. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**31379.26**	**...**	**31379.26**	**113800.00**	**...**	**113800.00**	**89369.92**	**...**	**89369.92**	**116490.00**	**...**	**116490.00**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												

(₹ *करोड़*)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्राधिकरण	3.03	...	3.03	4.02	...	4.02	5.00	...	5.00	6.50	...	6.50
स्वायत्त निकाय												
12. राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान	6.87	...	6.87	6.72	...	6.72	8.01	...	8.01	9.35	...	9.35
13. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज)	8.30	...	8.30	7.58	...	7.58	7.96	...	7.96	8.34	...	8.34
14. राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद	...	...	...	50.00	...	50.00	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50
15. चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान	...	...	...	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.24	...	4.24
जोड़-स्वायत्त निकाय	**15.17**	**...**	**15.17**	**68.30**	**...**	**68.30**	**25.47**	**...**	**25.47**	**27.43**	**...**	**27.43**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**18.20**	**...**	**18.20**	**72.32**	**...**	**72.32**	**30.47**	**...**	**30.47**	**33.93**	**...**	**33.93**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
16. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- प्रति बूंद अधिक फसल	2918.37	...	2918.37	3500.00	...	3500.00	2032.20	...	2032.20	4000.00	...	4000.00
हरित क्रांति												
17. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3370.38	...	3370.38	3745.00	...	3745.00	2760.00	...	2760.00	3700.00	...	3700.00
18. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1605.79	...	1605.79	2000.00	...	2000.00	1776.90	...	1776.90	2100.00	...	2100.00
19. राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना	2.76	...	2.76	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	12.50	12.50
20. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास	175.49	...	175.49	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00	175.00	...	175.00
21. राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना	313.59	0.03	313.62	322.20	2.00	324.20	154.65	1.20	155.85	313.00	2.00	315.00
22. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन	216.24	...	216.24	250.00	...	250.00	146.06	...	146.06	202.50	...	202.50
23. परम्परागत कृषि विकास योजना	328.69	...	328.69	325.00	...	325.00	299.36	...	299.36	500.00	...	500.00
24. कृषि-वानिकी पर राष्ट्रीय परियोजना	28.58	...	28.58	50.00	...	50.00	28.00	...	28.00	36.00	...	36.00
25. राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन	341.32	...	341.32	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26. राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1996.22	0.63	1996.85	2221.00	4.00	2225.00	1579.50	4.00	1583.50	2295.29	4.71	2300.00
27. बीज एवं पौध रोपण सामग्री पर उपमिशन	331.13	1.38	332.51	379.43	0.70	380.13	299.35	0.65	300.00	377.77	1.00	378.77
28. पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध पर उपमिशन	27.88	1.39	29.27	45.00	5.00	50.00	29.00	5.00	34.00	35.00	5.00	40.00
29. कृषि विस्तार पर उपमिशन	890.59	...	890.59	950.00	...	950.00	940.00	...	940.00	1200.00	...	1200.00
30. सूचना प्रौद्योगिकी	40.85	...	40.85	40.00	...	40.00	31.13	...	31.13	40.00	...	40.00
31. कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन	1095.30	5.48	1100.78	980.00	20.00	1000.00	995.00	20.00	1015.00	975.89	24.11	1000.00
32. कृषि संगणना एवं सांख्यिकी एकीकृत स्कीम	237.89	...	237.89	224.22	...	224.22	175.00	...	175.00	320.00	...	320.00
33. कृषि सहकारिता पर एकीकृत स्कीम	137.79	...	137.79	85.00	...	85.00	140.00	...	140.00	400.00	...	400.00
34. कृषि विपणन												
34.01 समेकित कृषि विपणन योजना	457.22	0.97	458.19	599.00	1.00	600.00	330.10	1.00	331.10	489.00	1.00	490.00
35. राष्ट्रीय बांस मिशन	150.04	...	150.04	150.00	...	150.00	87.00	...	87.00	110.00	...	110.00

(₹ *करोड़*)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-हरित क्रांति	**11747.75**	**9.88**	**11757.63**	**12525.85**	**34.70**	**12560.55**	**9931.05**	**33.85**	**9964.90**	**13269.45**	**50.32**	**13319.77**
36. वास्तविक वसूली	-507.31	...	-507.31	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**14158.81**	**9.88**	**14168.69**	**16025.85**	**34.70**	**16060.55**	**11963.25**	**33.85**	**11997.10**	**17269.45**	**50.32**	**17319.77**
कुल जोड़	***46065.41***	***10.78***	***46076.19***	***130450.51***	***34.70***	***130485.21***	***101870.15***	***33.85***	***101904.00***	***134349.45***	***50.32***	***134399.77***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. कृषि कार्य	22096.71	...	22096.71	87396.30	...	87396.30	65800.77	...	65800.77	87361.07	...	87361.07
2. मृदा और जल संरक्षण	25.40	...	25.40	28.70	...	28.70	27.71	...	27.71	30.34	...	30.34
3. कृषि वित्तीय संस्थान	11148.46	...	11148.46	16306.93	...	16306.93	16170.36	...	16170.36	19098.22	...	19098.22
4. सहकारिता	137.79	...	137.79	126.50	...	126.50	126.30	...	126.30	365.50	...	365.50
5. अन्य कृषि कार्यक्रम	490.57	...	490.57	597.43	...	597.43	359.71	...	359.71	1001.35	...	1001.35
6. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	127.57	...	127.57	150.41	...	150.41	132.92	...	132.92	147.12	...	147.12
7. फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय	...	9.81	9.81	...	29.71	29.71	...	28.86	28.86	...	49.32	49.32
8. अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	...	0.97	0.97	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**34026.50**	**10.78**	**34037.28**	**104606.27**	**30.71**	**104636.98**	**82617.77**	**29.86**	**82647.63**	**108003.60**	**50.32**	**108053.92**
अन्य												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	12982.07	...	12982.07	10132.71	...	10132.71	13380.98	...	13380.98
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	12032.78	...	12032.78	12842.72	...	12842.72	9042.55	...	9042.55	12817.72	...	12817.72
11. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	6.13	...	6.13	19.45	...	19.45	77.12	...	77.12	147.15	...	147.15
12. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	3.99	3.99	...	3.99	3.99	...	...	...
जोड़-अन्य	**12038.91**	**...**	**12038.91**	**25844.24**	**3.99**	**25848.23**	**19252.38**	**3.99**	**19256.37**	**26345.85**	**...**	**26345.85**
कुल जोड़	46065.41	10.78	46076.19	130450.51	34.70	130485.21	101870.15	33.85	101904.00	134349.45	50.32	134399.77

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालयों, विभागीय कैंटीन एवं मंत्री (कृषि), भारतीय दूतावास रोम; विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों को योगदान और विभिन्न राज्यों में अवस्थित विभाग के अंतर्गत विभिन्न संबंद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के खर्च के बाबत किया गया है।

2. **फसल बीमा योजना:** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को 1.4.2016 से शुरू किया गया था। इस योजना को पूर्व की योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस), मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एमएनएआईएस) को मिलाकर बनाया गया था। इस विभाग को दावा आधारित बीमा योजना से प्रीमियम आधारित प्रणाली के लिए अपफ्रन्ट सब्सिडी में माइग्रेट किया गया है। चालू वित्त वर्ष में खरीफ और रबी 2018-19 के लिए पीएमएफबीवाई के अंतर्गत अपफ्रन्ट प्रीमियम सब्सिडी के साथ पिछले वर्षों की अंश दायित्व (प्रमुख रूप से खरीफ 2015 एवं रबी 2015-16) का भी भुगतान किया गया है। यह मांग संचालित स्कीम है इसलिए इसकी बाबत लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि 2018-19 के दौरान कुल फसल क्षेत्र के कवरेज में 50% का इजाफा करने का निर्णय लिया गया।

3. **किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी:** इस स्कीम के तहत किसानों को रियायतकृत ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण दिये जाने के लिए नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को ब्याज सहायता दी गई है।

4. **बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस):** इस स्कीम के तहत नेफेड, केंद्रीय वेयर हाऊसिंग निगम, राष्ट्रीय भारतीय उपभोक्ता सहकारी समिति परिसंघ और लघु किसान कृषि व्यापार मंच को केंद्रीय अभिकरणों के रूप में प्राधिकृत किया गया है ताकि वे

मूल्य समर्थन स्कीम के तहत तिलहनों और दलहनों का प्रापण कार्य करने के साथ -साथ किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलवाने की दिशा में कार्य कर सकें।

5. **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-एएएसएचए):** प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (PSS), तिलहन और कोपरा, मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS) और पायलट योजना - निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (PPSS) के तहत किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने की योजना है, जो 2018-19 से 2019-20 तक लागू है।

6. **कल्याण योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दाल का वितरण:** खरीफ विपणन सीजन 2017-18 और रबी विपणन सीजन 2018-19 के दौरान मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत खरीदे गए दालों के विशाल स्टॉक को मिड-डे मील, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ICDS आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपयोग के लिए राज्य / संघ शासित प्रदेशों को जारी किए गए मूल्य से ₹ 15 रु प्रति किलो अधिक है।

7. **फ़सल अवशेष के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यांत्रिकीकरण का संवर्धन:** वायु प्रदूषण को दूर करने एवं फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एनसीटी के सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक विशेष योजना 2018-19 से 2019-20 तक की अवधि के लिए है।

8. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम - किसान):** देशभर के सभी किसान परिवारों को आय सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें अपने कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के साथ ही घरेलू जरूरतों संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) नामक एक नई केन्द्रीय सैक्टर स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य उन्हें 6000/- रूपए वार्षिक का भुगतान करना है जो कतिपय उच्चतर आय समूहों से संबंधित अपवादों के अधीन होगा। लगभग 14 करोड़ किसानों को इस स्कीम के दायरे में लाए जाने की संभावना है।

9. **प्रधानमंत्री किसान मान - धन योजना:** लघु और सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा कँवच की व्यवस्था करने की दृष्टि से, चूंकि उनके पास वृद्धावस्था के लिए मामूली या शून्य बचत होती है और बाद में उनकी आजीविका का साधन नहीं रह जाता तब उनकी सहायता के लिए सरकार ने एक और नई केन्द्रीय सेक्टर स्कीम कार्यान्वित करने का निर्णय लिया जिसके तहत इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी। इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को 3000 रूपए प्रति माह की न्यूनतम नियत पेंशन प्रदान की जाएगी जो कतिपय अपवादी नियमों के अधीन होगी। इस स्कीम का उद्देश्य प्रथम तीन वर्षों के दौरान लगभग 3 करोड़ लाभग्राहियों को इसके दायरे के अंतर्गत लाना है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम होगी जिसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष होगी।

10. **10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन:** यह प्रस्ताव सदस्य किसान उत्पादकों को उनकी उपज के लिए बेहतर तरलता और बाजार संपर्क के माध्यम से लागत प्रभावी उत्पादक और उत्पादकता और उच्च शुद्ध आय बढ़ाने में योगदान देगा और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से स्थायी हो जाएगा।

11. **पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्राधिकरण:** यह एक सांविधिक निकाय है जिसे विश्व व्यापार संगठन से हुए करार के तहत दायित्वों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ 2001 में अधिनियम के तहत गठित किया गया। इसमें पादप प्रजातियों, किसानों और पौध रोपणकर्ताओं के अधिकारों और पादपों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी प्रणाली कायम करने का प्रावधान किया गया है।

12. **राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान:** इस संस्थान का प्रावधान विविध और बदलती हुई कृषि–जलवायुगत परिस्थितियों में पर्यावरण के मद्देनजर संधारणीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन परिपाटियों को बढ़ावा देने, जैव सुरक्षा एवं इन्कर्शन प्रबंधन तथा केंद्र एवं राज्य सरकार को नीतिगत सहायता देने के लिए किया गया है।

13. **राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज):** यह संस्थान कृषिगत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों में विस्तार अधिकारियों, प्रबंधकों, वैज्ञानिकों, और प्रशासकों द्वारा प्रबंधन तकनीकी कौशल के अधिप्रापण को सुकर बनाता है ताकि संधारणीय कृषिगत और मात्सियकी परिपाटियों पर किसानों और मछुवारों को बेहतर कारगर सहायता और सेवाएं उपलब्ध करा सके।

14. **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद:** एनसीसीटी देश में सहकारी प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं के आयोजन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। यह प्रावधान वेतन सहायता अनुदान के लिए है।

15. **चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान:** यह एक स्वायत्त निकाय है और कृषि विपणन क्षेत्र में दक्षता लाने के लिए किसानों के बीच जागरूकता लाने और सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्र में निर्णय निर्माताओं को परामर्श और नीति समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

16. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- प्रति बूंद अधिक फसल:** यह योजना सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला यथा जल संसाधनों, वितरण नेटवर्क और फार्म स्तरीय एप्लीकेशन में पूर्णरूपेण समाधान की व्यवस्था करेगी। इस कार्यक्रम में कृषिगत उत्पादन और उत्पादकता में इजाफा करने और जल के किफ़ायती उपयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा।

17. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:** यह कार्यक्रम कृषिगत क्षेत्रक में उच्च प्रगति करने, किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य देने और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देकर कृषि के समेकित विकास करने, संधारणीय कृषि, तिलहनों, आयल पाम के उत्पादन तथा कृषिगत विस्तार करने के लिए है।

18. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन:** देश को खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए चावल, गेंहू, दलहनों, मोटे अनाजों और व्यापारिक फसलों में इजाफा करने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रावधान किया गया है। दालों के लिए 60 प्रतिशत आबंटन किया गया है। 2019-20 से, इस प्रावधान में तिलहन और आयल पाम की आवश्यकता भी शामिल है।

19. **राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना:** यह योजना जैविक और पोषहारिये जैव स्रोतों यथा जैव उर्वरकों, जैव खादों, संधारणीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता के लिए कम्पोस्ट के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देने, जैविक कृषि में वैकल्पिक आदानों के रूप में जैव कीटनाशकों, जैव नियंत्रक कारकों आदि का उपयोग करने के लिए है।

20. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास:** इसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जैविक कृषि को सुग्राही बनाने के साथ साथ उसके विकास और संवर्धन का प्रावधान किया गया है।

21. **राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना:** मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के तहत वृहत-सूक्ष्म पोषहारिय प्रबंधन, भू-विविधता पर आधारित यथोचित भू उपयोग के साथ मृदा उर्वरता विवरण को तैयार करके स्थान एवं फसल विशेष संधारणीय मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, अपशेष प्रबंधन और जैविक कृषि प्रचालनों की भी व्यवस्था की गई है। रसायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नए मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसटीएल)/सचल एसटीएल /उर्वरकता गुणवत्ता प्रयोगशालाओं (एफक्यूसीएल) को स्थापित करने उनको सुधाने का प्रावधान किया गया है। इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शामिल है, जिसमें किसानों को मृदा की पोषक स्थिति संबंधी सूचना दी गई है और मृदा के स्वास्थ्य एवं इसकी उर्वरता में सुधार लाने के लिए पोषक तत्वों की यथोचित मात्रा लेने की सिफारिश की गई है।

22. **वर्षा आधारित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन:** समेकित कृषि प्रणाली (संबद्ध क्षेत्रकों सहित बहुफसल, चक्रीय फसल, अंतरफसल और मिश्रित कृषि अभ्यासों सहित) पर जोर देने को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है ताकि किसान अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के साथ साथ सूखे, बाढ़ अथवा उग्र मौसम से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का प्राद्योगिकियों, सक्षम/ जीवन संरक्षण सिंचाई के जारिय उनके प्रतिकूल असर का सामना कर सकें। वर्षा सिंचित विकास स्कीम को 2014-15 से देश के 27 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है और समेकित कृषि प्रणाली व्यवस्था के तहत लगभग 0.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जाना है।

23. **परम्परागत कृषि विकास योजना:** इस स्कीम को मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के विस्तारित घटक के रूप में 1.4.2015 से शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत समूहगत आधार और प्रतिभागात्मक प्रमाणन प्रत्याभूति प्रणाली के द्वारा जैविक ग्राम को गोद लेकर जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान कुल 11891 क्लस्टर (20 हेक्टेयर के प्रत्येक) का गठन किया गया है। द्वितीय चरण (2018-19 से 2020-21) के दौरान 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लक्ष्य को कवर करने का प्रस्ताव है।

24. **कृषि-वानिकी पर राष्ट्रीय परियोजना:** यह योजना कृषि वानिकी विकास पर विशेष ध्यान दिये जाने के लिए तैयार की गई है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति को विभिन्न कृषि वानिकी घटकों के बीच समन्वयन, अभिसरण और सहक्रिया कायम करने के लिए 2014 में प्रतिपादित किया गया था।

26. **राष्ट्रीय बागवानी मिशन:** यह प्रावधान समेकित बागवानी विकास मिशन के लिए है ताकि पश्च और अग्र संपर्क सुनिश्चित करते हुए बागवानी क्षेत्र के लिए समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाना, आधुनिक प्रौद्योगकी का प्रदर्शन एवं किसानों के कौशल को बढ़ाना, सूखे के असर को कम करना, जीवन रक्षक सिंचाई, फसलरोपरांत नुकसानों को कम करना तथा बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए किसानों की मंडी तक पहुंच शामिल है। इस मिशन में विभिन्न क्रियाकलाप जैसे नारियल विकास बोर्ड, बागवानी विकास बोर्ड, उत्पादन एवं फसलोपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास, शीत भंडारगृहों एवं बागवानी उत्पादों हेतु भंडारगृहों के निर्माण, विस्तार, आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश राजसहायता, प्रौद्योगिकी विकास और बागवानी उत्पाद के लिए अंतरण आदि शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन हनी मिशन का प्रावधान शामिल है।

27. **बीज एवं पौध रोपण सामग्री पर उपमिशन:** मिशन का उद्देश्य बीज क्षेत्र को विकसित/मजबूत करना, उत्पादन को बढ़ाना तथा सभी कृषि फसलों के लिए अधिक उत्पादन करने वाले प्रमाणित/अच्छी किस्मा के बीजों में कई गुना वृद्धि करना, किसानों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना, पौध किस्मों , किसानों के अधिकारों तथा पौध ब्रीडर की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी व्यवस्था स्थापित करना है, ताकि पौधों की नई किस्मों को बढ़ावा दिया जा सके।

28. **पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध पर उपमिशन:** इस उप-मिशन का प्रमुख उद्देश्य कीटों, बीमारियों, खरपतवार, कृमि, कृंतक आदि से कृषिगत फसलों की गुणवत्ता एवं उपज को होने वाले नुकसान को कम करना है तथा हमारी कृषि जैव-सुरक्षा की हानिकारक प्रजातियों के आक्रमण तथा प्रसार से रक्षा करना है। यह उप-मिशन वैश्विक मंडियों के लिए भारतीय कृषि जिंसों के निर्यात को सुविधाजनक बनाता है और विशेष रूप से पादप सरंक्षण रणनीतियों एवं तकनीकों से संबंधित उत्तम कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है।

29. **कृषि विस्तार पर उपमिशन:** इस मिशन का उद्देश्य कृषि समुदाय विशेषत: छोटे एवं सीमांत किसानों की आय एवं आजीविका को बेहतर बनाने के लिए सभी के लिए विस्तार तथा दूर दराज तक पहुंच बनाना है तथा शीघ्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि को प्राप्त करने में योगदान देना है।

30. **सूचना प्रौद्योगिकी:** यह प्रावधान सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कृषि सूचना प्रणाली और राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना का सुदृढीकरण/संवर्धन करता है।

31. **कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन:** इस योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये संस्थान प्रगतिशील किसान, तकनीशियनों, राज्य सरकारों के प्रत्याशियों, कृषि उद्योग निगमों, कृषि संस्थानों एवं इंजीनियरिंग उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। यह प्रावधान किसान के खेतों पर बागवानी उपकरणों और फसलोपरांत प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन के साथ नए विकसित कृषि उपकरणों का प्रदर्शन करने के लिए भी है।

32. **कृषि संगणना एवं सांख्यिकी एकीकृत स्कीम:** इस स्कीम में कृषि गणना, कृषि आर्थिक नीति और विकास का अध्ययन तथा कृषि संबंधी सांख्यिकी में सुधार आदि की पुनर्गठित स्कीमें शामिल हैं।

33. **कृषि सहकारिता पर एकीकृत स्कीम:** यह प्रावधान समेकित कृषि सहकारी योजना के लिए हैं। इस स्कीम में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और सहकारी शिक्षा तथा विकास की पुनर्गठित स्कीमें शामिल हैं ।

34.01. **समेकित कृषि विपणन योजना:** (i) कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)- वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के निर्माण को शामिल करती है। इस योजना के तहत 40 लाख एमटी की भंडारण क्षमता और 400 अन्य विपणन अवसंरचनाएं 2019-20 के लिए लक्षित हैं। इसके अलावा 100 किसानों के उपभोक्ता बाजार स्थाापित किए जाएंगे; (ii) विपणन अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क (एमआरआईएन) – उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए मंडी आंकड़ों का राष्ट्रव्यापी सूचना नेटवर्क स्थापित करने के प्रयोजनार्थ; (iii) एगमार्क सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण; (iv) किसानों को मंडियों से जोड़ने के लिए ब्याज मुक्त उद्यम पूंजीगत सहायता (बीसीए) और परियोजना विकास सुविधा (पीडीएफ) के माध्यम से कृषि व्यवसाय विकास (एबीडी) का कार्यान्वयन किया गया; (v) वर्ष 2019-20 से देश भर में चुनिंदा 1000 मंडियों में कृषि जिंसों के व्यापार के लिए शुरू किए गए एनएएम सॉफ्टवेयर ई-प्लेटफार्म के साथ जुड़ने के इच्छुक राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में थोक मंडियों के लिए एक सामान्य ई-मंडी प्लेटफार्म की स्थापना के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय कृषि मंडी (एनएएम); (vi) साम्यता अनुदान एवं ऋण गारंटी निधि योजना- साम्यता अनुदान पाने और वित्तीय संस्थानों जो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए बिना जमानत के 1.00 करोड़ रूपये तक का ऋण प्रदान करने के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने हेतु किसान उत्पादक कंपनियों को सक्षम बनाना।

35. **राष्ट्रीय बांस मिशन:** राष्ट्रीय बांस मिशन आरंभ में 2006-07 से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तौर पर शुरू किया गया था और 2014-15 के दौरान बागवानी के समन्वित विकास हेतु मिशन के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया था और यह 2015-16 तक जारी रहा। पहले राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत किए गए बांस के पौध रोपण के रखरखाव के लिए निधियां जारी की गई थीं । चूंकि बांस सेक्टर के लिए कोई भी संकेंद्रित कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है इसीलिए उत्पादन, उत्पाद विकास और मूल्य संवर्धन क्रियाकलापों पर पर्याप्त बल देते हुए उपर्युक्त पुनर्गठन के साथ राष्ट्रीय बांस मिशन के पुनरूद्धार का निर्णय लिया गया है।